



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

निविदा प्रपत्र

संस्थान में वर्ष 2021-22 के लिये इलेक्ट्रिकल सामग्री क्रय किये जाने हेतु सामग्री की मूल निर्माता कंपनी/ अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं/प्रदायकर्ताओं से खुली निविदा के माध्यम से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदायें, सहायक कुलसचिव (क्रय) के कार्यालय में कक्ष क्र. 105 के सम्मुख रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 26.02.2021 को मध्यान्ह 3:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। मुहरबंद निविदा के साथ ब्याना राशि/ विड सिक्योरिटी का बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शक्तिनगर, मेला रोड, ग्वालियर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। निविदायें दिनांक 26.02.2021 को मध्यान्ह 3.30 बजे खोली जावेंगी, जिन निविदाओं के साथ बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट नहीं होगा, उन निविदाओं पर संस्थान द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

निविदाकार फर्म का नाम एवं पता : _____

: _____

मोबाइल क्रमांक : _____

ई-मेल (अनिवार्य) : _____

फर्म का पंजीयन क्रमांक : _____

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

फर्म का जीएसटीएन क्रमांक (GSTIN) : _____

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

धरोहर राशि रुपये 100,000/- : डी.डी. क्रमांक..... दिनांक.....

: बैंक का नाम -----

शाखा -----

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक 26/02/2021 समय 03.00 बजे

निविदा खोल जाने का दिनांक/समय : दिनांक 26/02/2021 समय 03.30 बजे

निविदा खोले जाने का स्थान : कार्यालय सहायक कुलसचिव (क्रय) कक्ष क्रमांक 105,
प्रशासकीय भवन, ल.रा.शा.शि.सं., ग्वालियर



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS ertified and NAAC Accredited Institute)

सं.क्रं	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (अंको में)	दर (शब्दों में)
01	एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट (60 वॉट) सिस्का/फिलिप्स/हैवल्स	100 नग		
02	एल.ई.डी फ्लड लाईट (50 वॉट) फिलिप्स/ओरिवा/हैवल्स	40 नग		
03	एल.ई.डी फ्लड लाईट (100 वॉट) फिलिप्स/ओरिवा/हैवल्स	40 नग		
04	एल.ई.डी फ्लड लाईट (150 वॉट) फिलिप्स/ओरिवा/हैवल्स	30 नग		
05	एल.ई.डी फ्लड लाईट (250 वॉट) फिलिप्स/ओरिवा/हैवल्स	20 नग		
06	एल.ई.डी ओपन पैनल लाईट (सकावयर बॉक्स) 15 वॉट(फिलिप्स/हैवल्स)	1000 नग		
07	एल.ई.डी ओपन पैनल लाईट (सकावयर बॉक्स) 20 वॉट वॉट(फिलिप्स/हैवल्स)	1500 नग		
08	एल.ई.डी ओपन पैनल लाईट (सकावयर बॉक्स) 25 वॉट वॉट(फिलिप्स/हैवल्स)	500 नग		
09	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट 20 वॉट (सिस्का)	1000 नग		
10	बल्ब 100 वॉट (टेस्ट लेम्प) सूर्या	50 नग		
11	बल्ब 400 वॉट (मैटल लाईट) बजाज/क्रॉम्पटन	500 नग		
12	बल्ब 400 वॉट चॉक फिलिप्स / बजाज	400 नग		
13	हॉल्डर 400 वॉट	300 नग		
14	इगनाईटर	300 नग		
15	सिलिंग फेन हैवल्स/ओरियन्ट /ऊषा	300 नग		
16	कंडेन्सर 2.5 एम.एफ.डी फिलिप्स/ऐपकोस/बजाज	300 नग		
17	कंडेन्सर 4 एम.एफ.डी फिलिप्स/ऐपकोस/बजाज	150 नग		
18	टी-5 रोड 4 फिट फिलिप्स/बजाज /सूर्या	300 नग		
19	चॉक 36 वॉट 8 पिन (फोर टी-5) (2 वे)	300 नग		
20	टी-5 हॉल्डर	100 नग		
21	जी.आई. वायर 16 नं	10 केजी		
22	जी.आई. वायर 10 नं	10 केजी		
23	पेंडेन्ट हॉल्डर (एंकर/कोना	300 नग		
24	एंगल हॉल्डर (एंकर/कोना/हैवल्स	300 नग		
25	5 एम्पीयर सॉकेट सादा (एंकर/कोना)	1000 नग		
26	5 एम्पीयर स्वीच सादा (एंकर/कोना)	1000 नग		
27	फेन रेग्युलेटर (सादा) (एंकर/कोना) छोटा	100 नग		
28	पीवीसी टेप (स्टील ग्रीप) किन्जल	25 पैकट		
29	कच्ची रबर (Cushion compound Rubber Tap)	05 बड़े पैकट		
30	सेलो टेप (ब्राउन टेप) 6"	50 नग		
31	स्टील स्क्रीयू 4 इंची	400 नग		
32	स्टील स्क्रीयू 1 इंची	400 नग		
33	स्टील स्क्रीयू 1-1/2 इंची	500 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

34	स्टील स्क्रीन 2 इंची	(ISO/IMS certified and NAAC Accredited)	400 नग		
35	नट बोल्ट वायसर के साथ 10 एमएम चौड़ाई 1.5/2.5 इंच लम्बाई		400 नग		
36	नट बोल्ट वायसर के साथ 6 एमएम चौड़ाई 1.5/2.5 इंच लम्बाई		400 नग		
37	नट बोल्ट वायसर के साथ 12 एमएम चौड़ाई 1.5/2.5 इंच लम्बाई		1000 नग		
38	काले ड्राई वॉल स्कू 1.5 इंची		1000 नग		
39	काले ड्राई वॉल स्कू 2.5 इंची		1000 नग		
40	काले ड्राई वॉल स्कू 3 इंची		1000 नग		
41	एमसीबी सिंगल पोल 6 एम्पीयर (हैवल्स)		200 नग		
42	एमसीबी सिंगल पोल 10 एम्पीयर (हैवल्स)		400 नग		
43	एमसीबी सिंगल पोल 16 एम्पीयर (हैवल्स)		400 नग		
44	एमसीबी सिंगल पोल 20 एम्पीयर (हैवल्स)		400 नग		
45	एमसीबी सिंगल पोल 25 एम्पीयर (हैवल्स)		400 नग		
46	एमसीबी सिंगल पोल 32 एम्पीयर (हैवल्स)		200 नग		
47	एमसीबी सिंगल पोल 40 एम्पीयर (हैवल्स)		200 नग		
48	एमसीबी डबल पोल 63 एम्पीयर (हैवल्स)		100 नग		
49	एमसीबी डबल पोल 32 एम्पीयर (हैवल्स)		200 नग		
50	एमसीबी डबल पोल 40 एम्पीयर (हैवल्स)		100 नग		
51	एमसीबी टीपीएन 63 एम्पीयर (हैवल्स) 4 पोल		200 नग		
52	एमसीबी टीपीएन 40 एम्पीयर (हैवल्स) 4 पोल		200 नग		
53	एमसीसीबी 60 एम्पीयर (हैवल्स) 3 पोल		100 नग		
54	एमसीसीबी 100 एम्पीयर (हैवल्स) 3 पोल		50 नग		
55	एमसीसीबी 150 एम्पीयर (हैवल्स) 3 पोल		20 नग		
56	एमसीसीबी 200 एम्पीयर (हैवल्स) 3 पोल		20 नग		
57	एमसीबी 2-वे बॉक्स मेटल		100 नग		
58	एमसीबी 4-वे बॉक्स मेटल		100 नग		
59	कूलर पैड (थीकर)		200 नग		
60	कूलर वॉटर पम्प छोटा		100 नग		
61	कूलर वॉटर पम्प जम्बो		100 नग		
62	गीजर 35 लीटर बजाज/क्राम्पटन/हैवल्स		30 नग		
63	गीजर 25 लीटर बजाज/क्राम्पटन/हैवल्स		30 नग		
64	गीजर ऐलीमेंट तिकोरा छोटा		300 नग		
65	गीजर ऐलीमेंट तिकोरा बड़ा		300 नग		
66	गीजर थर्मोस्टेट छोटा		100 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

67	गीजर थर्मोस्टेट बड़ा	100 नग		
68	गीजर थर्मोस्टेट छोटा	100 नग		
69	गीजर ऐलीमेंट राउण्ड वाला	50 नग		
70	36 वॉट चॉक (4 पीन सीएफएल) (क्राम्टन /फिल्पिस)	100 नग		
71	36 वॉट इलेक्ट्रॉनिक चॉक (क्राम्टन/फिल्पिस)	100 नग		
72	एल.ई.डी बल्ब 5 वॉट (सिस्का/फिल्पिस)	300 नग		
73	एल.ई.डी बल्ब 9 वॉट (सिस्का/फिल्पिस)	300 नग		
74	एल.ई.डी बल्ब 15 वॉट (सिस्का/फिल्पिस)	300 नग		
75	एल.ई.डी बल्ब 20 वॉट (सिस्का/फिल्पिस)	200 नग		
76	हंडी प्लास्टिक 450 एमएम पारदर्शी	50 नग		
77	हंडी प्लास्टिक 300 एमएम पारदर्शी	50 नग		
78	हंडी प्लास्टिक 150 एमएम पारदर्शी	50 नग		
79	लग्स 300 एमएम ² डोवेल्स/आई.एस.आई	150 नग		
80	लग्स 240 एमएम ²	100 नग		
81	लग्स 150 एमएम ²	100 नग		
82	लग्स 95 एमएम ²	100 नग		
83	लग्स 120 एमएम ²	100 नग		
84	लग्स 70 एमएम ²	100 नग		
85	लग्स 50 एमएम ²	100 नग		
86	लग्स 35 एमएम ²	100 नग		
87	लग्स 25 एमएम ²	100 नग		
88	लग्स 16 एमएम ²	200 नग		
89	गैंग बॉक्स पीवीसी 1 पॉवइंट	200 नग		
90	गैंग बॉक्स पीवीसी 8 पॉवइंट	200 नग		
91	गैंग बॉक्स पीवीसी 3 पॉवइंट	250 नग		
92	गैंग बॉक्स पीवीसी 4 पॉवइंट	250 नग		
93	गैंग बॉक्स पीवीसी 6 पॉवइंट	250 नग		
94	गैंग बॉक्स पीवीसी 12 पॉवइंट	150 नग		
95	स्वीच शीट 24 x24	20 नग		
96	स्वीच शीट 4X4	10 नग		
97	स्वीच शीट 5X7	150 नग		
98	स्वीच शीट 8X10	50 नग		
99	स्वीच शीट 10X12	50 नग		
100	इलेक्ट्रिक पैनल इंडीगेटर रेड	20 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

101	इलेक्ट्रिक पैनेल इंडीगेटर येलो	20 नग		
102	इलेक्ट्रिक पैनेल इंडीगेटर ब्लू	20 नग		
103	इलेक्ट्रिक पैनेल इंडीगेटर ग्रीन	20 नग		
104	6 एम्पीयर सॉकेट मॉड्यूलर (रोमा)	200 नग		
105	6 एम्पीयर स्वीच मॉड्यूलर (रोमा)	200 नग		
106	16 एम्पीयर स्वीच मॉड्यूलर (रोमा)	200 नग		
107	16 एम्पीयर सॉकेट मॉड्यूलर (रोमा)	200 नग		
108	मॉड्यूलर शीट 8 मॉडल (रोमा)	15 नग		
109	मॉड्यूलर शीट 12 मॉडल (रोमा)	100 नग		
110	मॉड्यूलर शीट 4 मॉडल (रोमा)	100 नग		
111	मॉड्यूलर शीट 10 मॉडल (रोमा)	50 नग		
112	फेन रेग्युलेटर (सिंगल मॉड्यूलर (रोमा)	200 नग		
113	6 एम्पीयर सॉकेट (ओरपट)	200 नग		
114	6 एम्पीयर स्वीच रोमा (ओरपट)	200 नग		
115	16 एम्पीयर स्वीच रोमा (ओरपट)	200 नग		
116	16 एम्पीयर सॉकेट रोमा (ओरपट)	200 नग		
117	मॉड्यूलर शीट 8 मॉडल (ओरपट)	20 नग		
118	मॉड्यूलर शीट 12 मॉडल (ओरपट)	15 नग		
119	मॉड्यूलर शीट 4 मॉडल (ओरपट)	100 नग		
120	मॉड्यूलर शीट 10 मॉडल (ओरपट)	50 नग		
121	फेन रेग्युलेटर (सिंगल मॉड्यूलर (ओरपट)	200 नग		
122	6 एम्पीयर सॉकेट (कोना)	200 नग		
123	6 एम्पीयर स्वीच रोमा (कोना)	200 नग		
124	16 एम्पीयर स्वीच रोमा (कोना)	200 नग		
125	16 एम्पीयर सॉकेट रोमा (कोना)	20 नग		
126	मॉड्यूलर शीट 8 मॉडल (कोना)	20 नग		
127	मॉड्यूलर शीट 12 मॉडल (कोना)	100 नग		
128	मॉड्यूलर शीट 4 मॉडल (कोना)	50 नग		
129	मॉड्यूलर शीट 10 मॉडल (कोना)	200 नग		
130	फेन रेग्युलेटर (सिंगल मॉड्यूलर (कोना)	200 नग		
131	गीजर इंडीगेटर (लाल)	100 नग		
132	गीजर इंडीगेटर (हरा)	100 नग		
133	एस.एस. कम्बाईड बॉक्स के साथ	500 नग		
134	स्वीच 6 एम्पीयर (फिनो स्वीच)	200 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

135	सॉकेट 6 एम्पीयर (फिनो स्वीच/मॉडयूलर)	200 नग		
136	स्वीच 16 एम्पीयर (फिनो स्वीच मॉडयूलर)	200 नग		
137	सॉकेट 16 एम्पीयर (फिनो स्वीच मॉडयूलर)	200 नग		
138	फेन रेग्यूलर (डबल मॉडयूलर) (फिनो स्वीच)	100 नग		
139	मॉडयूलर शीट 12 मॉडल (फिनो स्वीच)	15 नग		
140	मॉडयूलर शीट 3 मॉडल (फिनो स्वीच)	300 नग		
141	मॉडयूलर शीट 8 मॉडल (फिनो स्वीच)	50 नग		
142	मॉडयूलर शीट 10 मॉडल (फिनो स्वीच)	100 नग		
143	स्वीच 6 एम्पीयर (एम.के.) मॉडयूलर	100 नग		
144	सॉकेट 6 एम्पीयर (एम.के.) मॉडयूलर	100 नग		
145	स्वीच 16 एम्पीयर (एम.के.) मॉडयूलर	100 नग		
146	सॉकेट 16 एम्पीयर (एम.के.) मॉडयूलर	20 नग		
147	फेन रेग्युलेटर (डबल माडयूलर) एम.के. मॉडयूलर	100 नग		
148	माडयूलर शीट 12 मॉडल (एम.के.) मॉडयूलर	20 नग		
149	माडयूलर शीट 8 मॉडल (एम.के.)	20 नग		
150	माडयूलर शीट 3 मॉडल (एम.के.)	50 नग		
151	माडयूलर शीट 6 मॉडल (एम.के.)	50 नग		
152	बैल स्वीच 6 एम्पीयर (एम.के.) मॉडयूलर	50 नग		
153	स्वीच 6 एम्पीयर (जी.एम) मॉडयूलर	30 नग		
154	सॉकेट 6 एम्पीयर (जी.एम) मॉडयूलर	30 नग		
155	स्वीच 16 एम्पीयर (जी.एम) मॉडयूलर	20 नग		
156	सॉकेट 16 एम्पीयर (जी.एम) मॉडयूलर	20 नग		
157	फेन रेग्युलेटर (डबल माडयूलर) (जी.एम) मॉडयूलर	10 नग		
158	माडयूलर शीट 12 मॉडल (जी.एम)	20 नग		
159	माडयूलर शीट 8 मॉडल (जी.एम)	20 नग		
160	माडयूलर शीट 3 मॉडल (जी.एम)	20 नग		
161	माडयूलर शीट 4 मॉडल (जी.एम)	20 नग		
162	माडयूलर शीट 6 मॉडल (जी.एम)	20 नग		
163	डी.पी स्वीच 32 एम्पीयर (जी.एम) मॉडयूलर	10 नग		
164	स्वीच 6 एम्पीयर (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	200 नग		
165	सॉकेट 6 एम्पीयर (जी.एम) (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	200 नग		
166	स्वीच 16 एम्पीयर (जी.एम) (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	200 नग		
167	सॉकेट 16 एम्पीयर (जी.एम) (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	200 नग		
168	बैल स्वीच 6 एम्पीयर (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	200 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

169	डी.पी. स्वीच 32 एम्पीयर (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	05 नग		
170	माडयूलर शीट 12 मॉडल (वेगा वेस्टन)	10 नग		
171	माडयूलर शीट 8 मॉडल (वेगा वेस्टन)	10 नग		
172	माडयूलर शीट 6 मॉडल (वेगा वेस्टन)	20 नग		
173	माडयूलर शीट 1 मॉडल (वेगा वेस्टन)	20 नग		
174	फेन रेग्युलेटर सिंगल मॉडयूलर (वेगा वेस्टन) मॉडयूलर	100 नग		
175	स्वीच 6 एम्पीयर (Crabtree) मॉडयूलर	20 नग		
176	सॉकेट 6 एम्पीयर (Crabtree) मॉडयूलर	20 नग		
177	स्वीच 16 एम्पीयर (Crabtree) मॉडयूलर	20 नग		
178	सॉकेट 16 एम्पीयर (Crabtree) मॉडयूलर	20 नग		
179	फेन रेग्युलेटर (डबल माडयूल) (Crabtree) मॉडयूलर	10 नग		
180	माडयूलर शीट 12 मॉडल (Crabtree)	10 नग		
181	मॉडयूलर शीट 06 मॉडल (Crabtree)	10 नग		
182	माडयूलर शीट 04 मॉडल (Crabtree)	30 नग		
183	स्वीच 6 एम्पीयर (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	20 नग		
184	सॉकेट 6 एम्पीयर (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	20 नग		
185	स्वीच 16 एम्पीयर (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	20 नग		
186	सॉकेट 16 एम्पीयर (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	20 नग		
187	फेन रेग्युलेटर (डबल माडयूल) (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	10 नग		
188	डी.पी. स्वीच 32 एम्पीयर (एल एण्ड टी)	05 नग		
189	माडयूलर शीट 12 मॉडल (एल एण्ड टी)	05 नग		
190	माडयूलर शीट 8 मॉडल (एल एण्ड टी)	05 नग		
191	बैल स्वीच 6 एम्पीयर (एल एण्ड टी) मॉडयूलर	10 नग		
192	वायर 1 एमएम (पोलीकेब/आर.आर.केबिल) लाल/पीली/ब्लू/ग्रीन	50 नग		
193	वायर 2.5 एमएम (पोलीकेब/आर.आर.केबिल) लाल/पीली/ब्लू/ग्रीन	50 नग		
194	वायर 4 एमएम (पोलीकेब/आर.आर.केबिल) लाल/पीली/ब्लू/ग्रीन	20 नग		
195	वायर 6 एमएम (पोलीकेब/आर.आर.केबिल) लाल/पीली/ब्लू/ग्रीन	10 नग		
196	कंसिड लाईट 7" (15 वॉट) सिस्का/हैवल्स)	50 नग		
197	फ्लेक्जिबल वॉयर कॉयल 40/76 बेस्ट क्वालिटी	50 नग		
198	कंसिड लाईट 7" (7 वॉट) (सिस्का/हैवल्स)	50 नग		
199	16 एम्पीयर स्वीच सादा (कोना)	150 नग		
200	16 एम्पीयर सॉकेट सादा (कोना)	150 नग		
201	फेन रेग्युलेटर सादा बडा (कोना)	100 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India
(Under Section 3 of UGC Act 1956)
(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

202	1.5 एमएम 3 कोर कॉपर केबिल	05 पैकट		
203	2.5 एमएम 3 कोर कॉपर केबिल	05 पैकट		
204	10 एमएम 2 कोर एल्यूमिनियम केबिल	05 पैकट		
205	10 एमएम 3 कोर एल्यूमिनियम केबिल	05 पैकट		
206	3 पिन टॉप 6 एम्पीयर (कोना)	100 नग		
207	3 पिन टॉप 16 एम्पीयर (कोना)	100 नग		
208	केसिंग पट्टी 1/2 इंची	100 नग		
209	केसिंग पट्टी 3/4 इंची	100 नग		
210	केसिंग पट्टी 1 इंची	100 नग		
211	पीवीसी पाइप 1 इंची	50 नग		
212	पीवीसी पाइप बैंड	30 नग		
213	केसिंग ज्वाइंट एल टाइप	50 नग		
214	केसिंग ज्वाइंट टी टाइप	50 नग		
215	केसिंग ज्वाइंट कोनिया टाइप	30 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान,

ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS ertified and NAAC Accredited Institute)

/घोषणा//

मेरे /हमारे द्वारा निविदा के परिशिष्ट "अ" तथा परिशिष्ट "ब" एवं अन्य दस्तावेज में वर्णित समस्त तथ्य, संलग्नक सत्य व सही है एवं इसमें निविदा में वर्णित समस्त नियम, शर्तों एवं विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया गया है। मेरे /हमारे द्वारा हर स्थिति में इनका अनुपालन किये जाने की घोषणा की जाती है ।

मेरे/हमारे द्वारा घोषित किया जाता है कि हमारी कम्पनी/ फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तुत तथ्य मेरी /हमारी जानकारी के अनुसार सत्य व सही है एवं किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है और न ही कोई तथ्य गलत है ।

मैं/हम यह सहमति देते हैं/देता हूँ कि संस्थान की निविदा समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा हमारी कम्पनी/फर्म को मान्य होगा।

मैं/हम इस प्रपत्र के कॉलम चार एवं पाँच में भरी गई आइटमों की दरें स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। शब्दों व अंकों में लिखी गई दरों में अंतर की स्थिति में कम लिखी गई दरों को ही संस्थान द्वारा मान्य किये जाने हेतु सहमति देता हूँ/ देते हैं। मैं /हम निविदाकार मूल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल सामग्री को प्रदाय करने का वचन देते हैं/ देता हूँ तथा मैं/हम इलेक्ट्रिकल सामग्री को प्रदाय करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ/ लेते हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता :-----

फर्म का नाम एवं पता :-----

फर्म का पेन नं :-----

मोबाईल क्रमांक :-----

स्थायी दूरभाष क्रमांक :-----

ई-मेल आईडी :-----

फैक्स क्रमांक :-----

जीएसटीएन क्रमांक :-----



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/05

दिनांक:

इलेक्ट्रिकल सामग्री निविदा की शर्तें

1. निविदा फार्म दिनांक 26.02.2021 को दोपहर 3:00 बजे तक संस्थान के वर्णित कार्यालय में जमा किये जावेंगे और इसके पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा खुलने का दिनांक 26.02.2021 समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित है। यदि कोई शासकीय अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय बन्द रहता है तब दूसरे दिन उक्त समय पर ही निविदा खोली जावेगी।
2. निविदा दर स्वीकृत किये जाने के बाद अनुबंध किये जाने की तिथि से 12 माह की अवधि तक वैध होंगी।
3. निविदा की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
4. सफल निविदाकार को आदेशित सामग्री को निर्धारित तिथि के अन्दर स्वयं के व्यय पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, मेला रोड, ग्वालियर को प्रदाय करना होगा।
5. माँगकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय की जावेगी, इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान होने पर प्रदाय आदेश निरस्त समझा जावेगा।
6. प्रदायकर्ता द्वारा इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय किये जाने के बाद इसमें किसी प्रकार की टूटफूट अथवा खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को अबिलम्ब स्वयं के व्यय पर सामग्री वापिस ले जाना होगी तथा वापिस ले जाने के सात दिवस की अवधि में पुनः अच्छी स्थिति में सामग्री प्रदाय करनी होगी। संस्थान द्वारा ऐसी खराब सामग्री की सूचना दिये जाने की नियत अवधि के बाद निविदाकार द्वारा ऐसी सामग्री संस्थान में ही रखे रहने की स्थिति में ऐसी सामग्री की राशि के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अर्धदण्ड देयक की राशि में से कटौती किया जावेगा तथा जिसकी जबाबदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
7. निविदा की वारण्टी अवधि के मध्य यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई इलेक्ट्रिकल सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को ऐसी प्रदाय की गई सामग्री को बदला/सुधारा जाना आवश्यक होगा।
8. संस्थान के कुलपति महोदय को सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)
आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/OS

दिनांक:

9. सफल निविदाकार को निविदा के स्वीकृत होने की दिनांक से दस दिन के अन्दर साढ़े सात प्रतिशत परफोरमेंस सिक्योरिटी / जमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संस्थान में जमा कराना होगी। परफोरमेंस सिक्योरिटी / जमानत राशि निर्धारित तिथि तक जमा न किये जाने की स्थिति में ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर उसकी बयाना राशि /ईएमडी जप्त कर ली जावेगी। निविदा में वर्णित इलेक्ट्रिकल सामग्री की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग निर्माता कम्पनी/फर्म को इस सम्बन्ध में विधिवत प्रमाण प्रस्तुत किये जाने तथा संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण को उचित पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार जमानत राशि /ईएमडी राशि जमा किये जाने की छूट प्रदान की जावेगी ।
10. सफल निविदाकार द्वारा संस्थान में जमा की गई परफोरमेंस सिक्योरिटी / जमानत राशि अनुबंधित निविदा की एक वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के 60 दिवस बाद, समस्त अनुबंधित पालन जिसमें वारण्टी अवधि भी शामिल होगी, ऐसी स्थिति में वापिस की जावेगी जबकि निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों की सामग्री की सम्पूर्ण सामग्री माँग अनुसार पूर्ति की गई हो तथा अनुबंध की समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो एवं संस्थान द्वारा किसी भी नियमों, विनियमों का अपालन का दोषी न माना गया हो ।
11. सफल निविदाकार को 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय के विधिवत पालन के लिये अनुबन्ध करना होगा। बिना अनुबन्ध किये व जमानत राशि जमा कराये बिना निविदाकार संस्थान में इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय नहीं कर सकेगा ।
12. सफल निविदाकार की स्वीकृत दरें अनुबंध दिनांक से आगामी एक वर्ष तक मान्य रहेगी, इस दौरान संस्थान द्वारा आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रिकल सामग्री माँगे जाने पर स्वीकृत निविदा दर पर सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
13. निविदा के साथ जीएसटीएन क्रमांक की छायाप्रति हस्ताक्षर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदा के साथ निविदाकार को स्वयं का मोबाइल क्रमांक, फर्म का स्थायी फोन नम्बर, फर्म का पिन कोड सहित पूरा पता, फर्म का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, पता, आईएफएससी कोड का संपूर्ण विवरण स्वयं हस्ताक्षर कर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
15. केवल वे ही निविदाकार निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस सामग्री में व्यापार करते हों तथा इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु कम्पनी/ फर्म का विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक हैं। इस



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/05

दिनांक:

सम्बन्ध में समस्त वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर किया जाकर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।

16. निविदाकार को इलेक्ट्रिकल सामग्री की मूल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित सामग्री ही संस्थान को प्रदाय करनी होगी।
17. संस्थान और निविदाकार के मध्य विवाद की स्थिति में कुलपति, ल.रा.शा.शि.संस्थान, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा एवं मामला मध्यस्थ के समक्ष रखा जायेगा। मध्यस्थ द्वारा मामले पर दिया गया फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
18. निविदा के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई प्रार्थना प्राप्त निविदाकारों की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
19. इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय किये जाने में निविदाकार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी इलेक्ट्रिकल सामग्री में खराबी आने की स्थिति में स्वयं निविदाकार जबाबदेही होगा तथा उसे अपने स्वयं के व्यय और जोखिम पर इसको पुनः अच्छी स्थिति की इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय करनी होगी।
20. निविदा की अवधि के दौरान किसी भी कानून/विनियमन इत्यादि के अधिनियमित होने पर निविदाकार किसी भी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा।
21. यदि निविदाकार निविदा की अवधि के मध्य निविदा ठेका वापिस लेता है अथवा संस्थान के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है तब संस्थान धरोहर राशि और/अथवा प्रदर्शन गारण्टी, यथास्थिति, निविदा रद्द करने संबंधी 01 माह की लिखित सूचना देकर राजसात करने के लिये प्राधिकृत है इसके अतिरिक्त संस्थान के पास निविदाकार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।
22. निविदाकार अथवा उनके कर्मचारी द्वारा संस्थान के अधिकारी/ कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं के साथ विनम्र एवं शिष्टतापूर्वक व्यवहार अपेक्षित है तथा उनके द्वारा संस्थान परिसर में किसी प्रकार का धूम्रपान किया जाना पूर्णरूप से निषेधित है। निविदाकार/ निविदाकारों द्वारा संस्थान की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा।
23. सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश प्रदाय किये जाने के 07 दिवस (सात दिवस) की अवधि के अन्दर इलेक्ट्रिकल सामग्री प्रदाय करना होगी। ऐसा न किया जाने की स्थिति में ऐसे कार्य आदेश की 0.5



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत)

आई.एस.ओ./आई.एम.एस. प्रमाणित एवं एन.ए.ए.सी. प्रत्यायित संस्थान

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

An Autonomous Body of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

(ISO/IMS certified and NAAC Accredited Institute)

क्रमांक: CS/20-21/05

दिनांक:

प्रतिशत राशि प्रति सप्ताह की दर से प्रस्तुत देयक से कटौत किया जावेगा तथा ऐसे कटौत की जाने वाली राशि कुल स्वीकृत निविदा की राशि की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी।

24. सफल निविदाकार को भुगतान के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों में कम्पनी/फर्म का पूरा नाम, पता, स्थायी मोबाइल क्रमांक, स्थायी दूरभाष क्रमांक, कॅ./फर्म का जीएसटी क्रमांक, फर्म का पेन नम्बर, भुगतान की जाने वाली बैंक का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक का पता, आईएफएससी कोड तथा देयक के ऊपरी भाग पर ल.रा.शा.शि. सं., ग्वालियर का, जीएसटी क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है।

25. सम्पूर्ण विवादों का न्यायाधिकार तथा विचाराधिकार क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

र. रत साजवान
28/01/2021
(प्रोफेसर ए. एस. साजवान)

प्रभारी कुलसचिव